<u>बिहार सरकार</u>
<u>जस्टिस उदय सिन्हा न्यायिक जाँच आयोग,</u>
<u>12–13 बैक हार्डिंग रोड, पटना</u>

पत्रांक 390 / न्या0जाँ0आ0– 27 / 2016 पटना, दिनांक 21/9/2016

प्रेषक,

शशि भूषण वर्मा,
सचिव ।

सेवा में,

श्री धनेश्वर प्रसाद चौधरी, (03.12.2001 से 16.12.2004 तक)
श्री उदय कुमार सिंह, (17.12.2004 से 31.01.2008 तक)
श्री मृत्युंजय कुमार, (01.02.2008 से 29.03.2009 तक)
श्री सुबोध कुमार चौधरी, (30.03.2009 से 31.03.2009 तक)
श्री अरसद अली, (01.04.2009 से 03.04.2010 तक)
श्री ज्योति कुमार, (04.04.2010 से 22.04.2013 तक)
सभी भूतपूर्व अनुमण्डल पदाधिकारी, महुआ, जिला– वैशाली ।

द्वारा **प्रधान सचिव**,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय – सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2002 से 2006 के बीच जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को दिये गये चावल जो अवशेष रह गये के मूल्य की वसूली ।

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि, पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या– 5638 / 2011 रैफुल आजम एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सदृश्य अन्य याचिकाओं की सुनवाई पश्चात् आदेश दिनांक 21.09.2015 से एक त्रिसदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया है ।

2. इस आयोग द्वारा प्रथम चरण में वैशाली जिला के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को सुनने की कार्रवाई की गयी जो अब समाप्ति पर है ।

उक्त याचिका में, उच्च न्यायालय पटना में बिहार सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने जो 7th पूरक प्रतिशपथ पत्र दायर किया उस पर उच्च न्यायालय का आदेश नीचे सहज सूचनार्थ उघृत किया जाता है –

Para 58 of the order- "The Chief Secretary of the Government of Bihar having regard to the aforesaid order of this Court dated 15.4.2015 had filed 7th supplementary counter affidavit on 5.5.2015 wherein the details of 689 criminal cases in the 38 districts against the PDS dealers were disclosed and in addition to it, the name of 48 Divisional Commissioners, 204 Collectors, 202 Deputy Development Commissioners, 412 Sub Divisional Officer apart from 2640 Block Development Officers was given. The government had also in such affidavit also come out with a suggestion that in view of the alleged involvement of more than 3506 officers and 5994 P.D.S. dealers in the quantified loss of revenue of more than 300 crores of rupees, it was prepared to constitute an independent Enquiry Commission headed by a retired High Court Judge to examine all the issues for fixing individual responsibility, both criminal and civil, with respect to the loss of government money to the tune of Rs. 321 crore approximately as also ways and means for recovery of the said amount **<u>both from the P.D.S. dealers and/or officials</u>**. The government had taken a plea that the criminal cases and the certificate proceeding pending against the PDS dealers during the